प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 08 जुलाई, 2021

विषयः-कोविड-19 से बचाव हेतु संस्थान में PICU हेतु उपकरण क्रय किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-PGI/DIR/DC/517/2021, दिनांक 25-06-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान में स्थापित किये जा रहें PICU हेतु उपकरण क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित उपकरण क्रय एवं साफटवेयर अपग्रेडेशन हेतु अनुमति/वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	संस्थान में पूर्व में स्थापित उपकरण	लागत (रू0 लाख में)
1	**2**	**3**
1	Ultrasound Machine (Echo Colour Doppler	25.00
2	06 Maquet Ventilator Equipment को नियोनोटल मोड में किये जाने हेतु उक्त उपकरण के साफटवेयर को अपग्रेड किया जाना है।	24.00
	कुल योग	**49.00**

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तालिका में उल्लिखित उपकरण क्रय किये जाने एवं साफटवेयर को अपग्रेड किये जाने हेतु रू0 49.00 लाख (रूपया उन्चास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण व उसका ऑडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।

(2) चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-804/71-1-2021-जी-228/ 2017 टी0सी0-6, दिनांक 16-06-2021 में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार Echo Colour Doppler मशीन , क्रय की अनुमति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(4) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03 संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।